Global Journal of Multidisciplinary Studies Available online at www.gjms.co.in
Volume 3, Issue3, Feb 2014
ISSN: - 2348-0459

भारत–पाक सम्बन्ध (कच्छ–रण विवाद) के संदर्भ में एक अध्ययन

'डॉ० मुरलीधर मंडल[1]
अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान
जे०एम०एस० कॉलेज, मुंगेर टी०एम०बी०यू०, भागलपुर
''धर्मेन्द्र कुमार नीरज[2]
व्याख्याता ऐ०आर०एस०डी कॉलेज, दिल्ली

सारांश

विश्व मानचित्र पर प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि हर देश के पड़ोसी राष्ट्र के बीच मतैक्य बना रहता है। यह मनमुटाव ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक रूप से या फिर शक्ति प्रतिस्प्रर्धा के तौर पर बना रहता है। लेकिन इन सब के बाबजुद भौगोलिक स्थिति भी पड़ोसी राष्ट्रो के बीच बहुत हद तक शत्रुता का मुख्य कारण बना रहता है।

खोज शब्द – धार्मिक , समाज, प्रतिस्प्रर्धा

प्रस्तावना

प्रकृति प्रदत्त भूमि के बंदरबांट अधिकार ने अधिकतर राष्ट्रों को आपस में भींड़ा कर रखा है। चाहे वह अरब–इजराइल हो, ईरान–इराक हो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया या फिर भारत–पाक, चीन–जापान इत्याति किन्तु विश्व में अरब–इजराइल युद्ध एवं वर्त्तमान मनमुटाव ने जिस तरह से विश्व में हलचल पैदा किया ठीक उसी तरह **दक्षिण एशिया** में भारत–पाक संबंध विश्व विरादरी के लिए अब तक एक पहेली बनी हुई है। इन दोनों देशों के बीच तीन बार – 1965, 1971 एवं 1999 में युद्ध हो चुका है जबकि अपरोक्ष युद्ध एवं परोक्ष वाक युद्ध में कमी नहीं आयी है। जैसा कि आज दिनांक 04–12–2013 के जी न्यूज चैनल पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मियाँ नवाज शरीफ ने यह कहा कि चौथा भारत–पाक युद्ध कश्मीर मुद्दो को लेकर होगा।[1]

जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बंधों में कारण जो भी हो लेकिन इन कारणों में से एक **कच्छ–रण** विवाद भी महत्वपूर्ण है।

1947 में जब कच्छ का राज्य भारत के साथ मिला तो यह क्षेत्र **भारतीय गणराज्य** का अंग बन गया। **सिन्ध–प्रदेश** और **कच्छ** के राजा में इस क्षेत्र को लेकर बहुत पहले कई बार झगड़ा हुआ था। लेकिन 1914 में तत्यकालीन बिटिश सरकार ने यह फैसला कर लिया कि यह क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार मे रहेगा। पाक सरकार इस बात को नहीं मानती। उनका कहना हैं कि 24 आकांक्ष के उत्तर में पौतीस (35) सौ वर्गमील का क्षेत्र पुराने सिन्ध प्रदेश के अन्दर था, देश विभाजन के बाद यह पाकिस्तान को मिलना चाहिए था और भारत ने जबरदस्ती इस पर अपना अधिकार कर लिया है।[1] भारत सरकार इस मत से सहमत नहीं है। उसका कहना था कि

Global Journal of Multidisciplinary Studies Available online at www.gjms.co.in
Volume 3, Issue3, Feb 2014
ISSN: - 2348-0459

यह सम्पूर्ण क्षेत्र कच्छ के राजा के मातहत में था और इसलिए यह पूरा क्षेत्र भारत का है।[2]

कच्छ का रण पुराने गुजरात राज्य अब भारतीय प्रदेश और पुराने सिन्ध प्रदेश (अब पाकिस्तान क्षेत्र) के बीच पड़ता है। यह सम्पूर्ण रण पहले कच्छ के राजा के अधिकार में था। 1956 में पहली बार पाकिस्तान ने छाटवेट (जगह) में चुपचाप प्रवेश करके मोर्चाबंदी कर ली और जब भारतीय पुलिस वहाँ पहुँची तो गोली वर्षा से उसका स्वागत किया। एक सप्ताह बाद भारतीय सैनिकों के वहाँ पहुँचते ही वे हट गये। इसके बाद विरोध पत्र भेजकर पाक ने अपना दावा स्पष्ट किया पर इसका जबाब मिल जाने पर शान्त हो गया। दो वर्ष पश्चात पुनः 1958 में पाक ने अपने अधिकार के बारे में कहा। सितम्बर 1958 में लोक सभा में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था ''पाकिस्तान ने छाटवेट का सवाल दो साल पहले उठाया था। जब हमने उसके विरोध पत्र का जवाब भेजा तो वह खामोश हो गया, समझे कि कोई विवाद नहीं था। करीब दो साल बाद पाकितस्तान ने दस दिन पहले हमें फिर लिखा है। इस मसले पर भी विचार करना है।[3]

छाटवेट के बाद मई 1964 में **केजरकोट** की बारी आयी। चारा इकटठा करने के बहाने कुछ पाकिस्तानी भारतीय सीमा में **तीन मील** भीतर घूस आये। तब से भारतीय पुलिस ने घात का विरोध किया। इसके बाद पाकिस्तानी फौज कंजरकोट/बंजरकोट के इलाके में प्रवेश किया। तीन दिन बाद मालूम हुआ कि पाकिस्तानीयों ने सीमा के डेढ़ मील अन्दर भारतीय इलाके में लगभग 18 मील लंबा रास्ता बना लिया है। 1960 में जब कि दोनों देशों के बीच गंभीर स्तर पर वार्त्ता हो रही थी कच्छ–रण का प्रश्न भी उठा था। मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की थी कि प्रर्याप्त प्रमाण एकत्रित कर लेन के पश्चात प्रश्न पर विचार किया जायेगा और आन्तरिम अवधि में यथास्थिति बनाये रखी जायेगी। किन्तु 1960 के स्थगित वार्त्ता को पुनः प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त किए बिना पाकिस्तान ने उसी प्रक्रिया की पुनरावृति को अधिक लाभकारी समझी जिसके माध्यम से 1943 में वह कश्मीर के $\frac{2}{3}$ भाग को हस्तगत करने में सफल हो गया था। पाकिस्तान का कहना था कि कच्छ–रण आन्तरिक समुद्र है। अतः यह उसके आधेक्षेत्र का वैध अधिकारी है। कच्छ सिन्ध सीमा के बारे में 24 आक्षांस के उत्तरी क्षेत्र में 3500 वर्ग मील भूमि पर पाकिस्तान सिन्ध प्रांत को मानता है जिस पर भारत का स्वामित्व हैं। अपने इस कथन की पुष्टि में यह 1908 के **इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया** के किए गए वर्णन से करता है। पाकितस्तान के दोनो तर्को का खण्डन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 29 अप्रैल 1965 को लोकसभा में कहा था कि ''पाकिस्तान का यह कथन कि कच्छ रण आन्तरिक समुद्र है पूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्यों व प्रमाणों के विपरीत है। कभी भी कच्छ रण को **आन्तरिक समुद्र** के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। 1906 में पाकिस्तान के जन्म के पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने अधिकारिक रूप से निश्चित किया था कि कच्छ रण को **आन्तरिक समुद** या **झील** के स्थान पर **दलदली प्रदेश मानना** अधिक उचित होगा। दलदली प्रदेश के सभी लक्षण इस भूमि में प्राप्त होते है।''

भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कच्छ और सिंध की सीमायें भारतीय ब्रिट्रिश प्रांत सिंघ और कच्छ के रियासती राज्य के मध्य विभाजीत थीं। अन्तराष्ट्रीय सीमा नहीं होने के कारण इसके सीमांकन का प्रश्न नही उठा। स्वंय में दोनों प्रांतों व रियासत के राज्य को बीच की सीमा मानचित्रों में अधिकारिक रूप से स्पष्ट थीं और 1872 से 1943 के मानचित्र इसकी पुष्टि करते है। विभाजन के पूर्व के दस्तावेज अधिकारिक रूप से उसका विस्तृत उल्लेख व पृष्टि करते है। सिंध प्रांत का सरकारी गजट जो 1907 में कराँची में प्रकाशित हुआ था तथा 1909 का प्रकाशित भारत का सरकारी गजट कच्छ–रण का सिन्ध प्रांत के बाहर ही स्पष्ट करते हैं। 1937–39 और 1942 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सभी राजनीतिक दस्तावेजों में कच्छ–रण को पश्चिमी भारतीय राज्य एजेंसी के अन्तर्गत बताया गया है। कभी भी सिंध के अंतर्गत नही बताया गया है और संम्पूर्ण पश्चिमी भारतीय राज्य एजेंसी विलय के आधार पर भारत का अंग स्वतंत्रता के पश्चात हो गया।[4] **यू0एन0ओ0** में भारत के स्थाई प्रतिनिधि **श्री वी0एन0चक्रवर्ती** ने मलेशिया के प्रतिनिधि को इस संबंध में लिये एक पत्र में लिखा था कि 1908 में सिन्ध प्रांत और कच्छ के महाराजा के बीच सीमा संबंधी विवाद हो गया था। इस विवाद में भी सिन्ध प्रांत की ओर से कच्छ–रण के छोटे से पश्चिमी भाग को ही विवादस्पद बताया गया था। कच्छ के सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र को विवाद का विषय नहीं बनाया गया।[5]

विदेश विभाग का 1906 का पत्र : (क) विदेश विभाग ने अपने संख्या 3434 एवं जिसे उसने नवम्बर 1906 को राजनीतिक भारत के 32 मील के मानचित्र को पारित करते लिखा था, जिसमें कहा गया है यह दिखाना उचित नहीं प्रतीत होता कि कच्छ रण में पूरा जल है। बाद में भारत के 32 मील के मानचित्र को 5वें संस्करण पर विचार करते हुए रण को दलदली प्रदेश घोषित किया गया।[6]

(ख) **फील्ड मार्शल** अयूब खाँ ने राष्ट्र के नाम 1 मई 1965 के अपने प्रकाशन में कहा था। ''हम पर नग्न अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है यदि हम अतिक्रमण करना चाहते तो कच्छ रण के दलदली प्रदेश से बेहत्तर भूमि चुनते।[7]

(ग) भारत के गजेटियर द्वितीय भाग 1854 में उदघृत है : कच्छ इसकी सीमाओं के भीतर नमक का दलदली क्षेत्र जिसे रण कहा जाता है, अन्तलिहित है।[8]

(घ) बम्बई प्रेसिडेंसी के गजेटियर जो कि 1880 में प्रकाशित ''जल के उत्तर व पूर्व में घिरा हुआ रण है जिसे कि नमक का मरूस्थल कहा जा सकता है और जिसका विस्तार 900 मील है।''[9]

(झ) इनसाइक्लोपीडिया ब्रिट्रानिका – 1962 के 12वें भाग में पृष्ट 233 में लिखा गया है कच्छ रण निचले स्तर की नमक युक्त कछारी भूमि के दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में यह लूमीपूराज, पश्चिमी बनार तथा अन्य नदियों के जल से जो वर्षा के कारण बाढ़ का रूप ले लेती है डूब जाता है। समुद्र का जल स्तर 4–5 फीट बढ़ जाता है जो अमान्य है।[10]

शांति उपायो के विपरीत कच्छ विवाद को पाक ने रण द्वारा निपटाने का प्रयास किया। जब कि जनवरी 1965 सुराई और बिंशा के बीच मार्ग बनाते समय पाकिस्तानी भारतीय सीमा में ड़ेढ़ मील भीतर आ गए। 12

अप्रैल को पाकिस्तान ने सरदार नगर बांकी पर गोला–बारी जारी की। भारत ने शांतिपूर्ण उपयों को ही प्रयोग में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को इसकी सूचना दी। 30 जून 1965 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलसन के प्रयासों से युद्ध विराम की घोषणा की। ब्रिटेन द्वारा दिये गए सुझाव के **समझते** को दोनो देशों ने स्वीकृति दीं। समझौते के कुछ मुख्य बाते इस तरह (1) जनवरी 1965 की अवधि से 1 माह की तिथि से यथास्थिति की स्थापना (2) दो माह अवधि के भीतर मंत्रियों का सम्मेलन (3) विवाद के निराकरण में असफल हो तो युद्ध विराम के चार माह के भीतर तीन सदस्य निष्पक्ष न्यायाधिकरण की स्थापना।

इस समझौते की आलोचना भारतीय जनता द्वारा विभिन्न कारणों से की गई जिसमें निम्न बाते है।

(क) कहा गया कि ब्रिटिश विदेश मंत्रालय द्वारा निर्मित इस समझौते को स्वीकार करके भारत सरकार ने लोकसभा द्वारा पारित 18 अप्रैल 1965 के प्रस्ताव तथा 6 मई 1965 के अपने आश्वासन के विपरीत आचरण किया है।

(ख) यह समझौता आक्रमण तथा क्षतिग्रस्त दोनों की समानता के स्तर पर रखकर विचार करता है।

(ग) समझौते में कहा गया है कि भारत व पाकिस्तान दोनों ही अपने–अपने तथ्यों और प्रमाणों को न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित दोनेां ही अपने–आपकों करेंगे ''ताकि यह इनके प्रमाण में सीमा का निर्धारण कर सके।'' **निर्धारण** ''शब्द का प्रयोग न्यायधिकरण को नवीन सीमा रेखा में अंकन का अधिकार प्रदान करता है।''

(घ) इस समझौते के माध्यम से भारत सरकार ने पाकिस्तन द्वारा घोषित 3500 वर्ग मील के भारतीय क्षेत्र को विवादग्रस्त स्वीकार कर लिया है।

(ङ) समझौते के अंतिम भाग में व्यवस्था है कि न्यायाधिकरण का निर्णय दोनों ही पक्षों को वाध्यता मूलक स्तर पर मान्य होगा और ''इसकी किसी भी आधार पर अवहेलना नहीं की जायेगी'' आलोचकों के अनुसार यह विकल्प अंतराष्ट्रीय विधि आयोग की मान्य परम्पराओं के प्रतिकूल है क्योंकि परम्पराओं के अनुसार किसी भी न्यायाधिकरण के निर्णय की निम्न में किसी एक या अधिकरणों से अमान्य किया जा सकता है।

(च) यह मूलभूत नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन होता है।

(छ) यदि अधिकरण का कोई भी सदस्य भ्रष्टाचार करता है।

(झ) पंच निर्णय के सिघांत को स्वीकार करके भारत ने अपने भू–भाग से अपनी संप्रमुता का समर्पण किया है क्योंकि इस समझौते के कारण भारत को अपनी सीमाओं से ही अपनी सशस्त्र सेना को वापस बुलाना होगा जबकि पाकिस्तान को कंजरकोट के दक्षिणी क्षेत्र जो कि दिंग और सुराई के बीच स्थित है में अपनी सेना रखने का अधिकार प्राप्त होगा।

पंच निर्णय के लिए जो भूमि सौपी गई है वह पूर्णतया भारतीय है और वहाँ पाकिस्तान की स्थिति आक्रमण की है। वह पहला अवसर है जबकि किसी देश ने अपनी ही सीमाओं के

भीतर भू–भाग न्यायाधिकरण की निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया हो। व्यापक जन विरोध के पश्चात भी 16 अगस्त 1965 को लोकसभा के विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने के सरकारी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की और न्यायाधिकरण को विवाद सौंपने का सरकारी प्रस्ताव पारित हो गया।

न्यायाधिकरण के लिए भारत ने अपनी ओर से यूगोस्लाविया के संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश **अलैस बेलवट** को जबकि पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत **बरूल्लाह इन्तेआम** की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वीडन के न्यायाधीश **गुनार लेगस्ट्रोन** के नाम को प्रस्तावित किया और इन तीनों व्यक्तियों ने न्यायाधीश गुनार सैगरटोन की अध्यक्षता में कार्य प्रारंभ किया। औपचारिक रूप से न्यायाधिकरण ने ''भारत–पाक पश्चिमी सीमा विवाद **'न्यायाधिकरण'** के नाम से कार्य प्रारंभ किया। औपचारिक रूप से 'न्यायाधिकरण' ने भारत–पाक पश्चिमी सीमा विवाद 'न्यायाधिकरण' के नाम से कार्य प्रारंभ किया जिनेवा में लगभग दो वर्षो तक के अपने कार्यकाल में 17 बैठकों में दोनों पक्षों के 1000 पृष्ठों के प्रमाणों और 350 मानचित्रों का अध्ययन करने के पश्चात 19 जनवरी 1968 को 900 पृष्ठों में अपना अदभूत निर्णय ज्ञापित किया। अध्यक्ष तथा पाकिस्तान द्वारा मनोनित न्यायाधीश ने बहुमत निर्णय को ज्ञापित किया जबकि भारत द्वारा मनोनित न्यायाधीश ने विपरीत मत का प्रकाशन किया।

बहुमत निर्णय के द्वारा 300 वर्गमील से 350 वर्गमील तक ही भारतीय भूमि पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई है और उस भूमि पर पाकिस्तान के स्वामित्व को निम्न आधारों पर स्वीकार किया गया –

(1) स्वतंत्रता के तत्काल पूर्व की तथ्थतः संप्रभूता उस क्षेत्र पर सिंन्ध की थीं।

(2) विपक्ष के विरोध के बिना प्रभावकारी और निरंतर नियंत्रण पाकिस्तन का था।

(3) इस खाड़ी को विदेशी भूमि मानना न्याय सम्मत नहीं होगा।

(4) प्रदेश भू–भाग की शांति और स्थिरता के विकास को ध्यान में रखकर उसे पाकिस्तान को हस्तांतरित करना उचित होगा।

अध्यक्ष का निर्णय इस संबंध को लेकर यह था कि ''वह भूभाग जिसके संबंध में पाकिस्तान द्वारा सिंध के अधिकार संबंधी दिए गए प्रस्ताव अवास्तविक और शांतिपूर्ण में, भारत को प्रदान किया गया है। वह भूभाग विवाद ग्रस्त क्षेत्र के कुल आकार का 90 प्रतिशत है।'' यह भूभाग जिस पर निरन्तर व प्रभावकारी सिंध की गतिविधियों बिना कच्छ के प्रभावकारी विरोध के स्थापित रही, पाकिस्तान को प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत रहीम का बाजार दक्षिण सीमान्त भाग है, जिसके साथ पैरोलवालोकम, धारावनी और छाटवेट भी संलग्न है.....।'' वह भू–भाग विवादग्रस्त क्षेत्र का 10 प्रतिशत है। निर्णय के विरूद्ध तात्कालिक प्रतिक्रिया यही थी कि निर्णय में राजनीतिक तथ्यों को भी आधार बनाया गया है। अध्यक्ष का कथन है कि ''भू–भाग की शांति'' स्थिरता के विकास का कारण बाध्य करता है कि पूर्णतया पाकिस्तन की भूमि से धिरा होने के कारण इस भूभाग को भी पाकिस्तान का ही भाग स्वीकार कर लिया जाय'' को भारतीय प्रधानमंत्री ने भी

आश्चर्यजनक माना था। उनकी टिप्पणी थी कि – ''ऐसे आधारों को शायद ही न्यायाधिश उचित महत्व प्रदान करते हो। चार अप्रैल 1969 के ''दी टाइम्स ऑफ इण्डियाँ के अनुसार सीमांकन का कार्य समाप्त हो चुका है और कच्छ रण के मानचित्रों पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए है। इस प्रकार कच्छ विवाद जिसे 65 संघर्ष की भूमिका निर्माण का महत्व प्राप्त है शांतिपूर्ण उपचारों से समाप्त हो गया।

इन समस्याओं के परिपेक्ष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण संबंधों का **विश्लेषणात्मक अध्ययन** करने से इस जगह से पैराग्राफ होगा एक तथ्य स्पष्ट होता है कि मूलरूप से ये समस्यायें भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए इन सब समस्याओं का निराकरण मात्र ही भारत पाक संबंधों के मैत्रीपूर्ण तथा सुखद अध्याय की वाटिका नहीं हो सकता। प्रत्येक समस्या तथा विवाद का प्रारंम्भिक अध्ययन ही स्पष्ट कर देता है कि समस्या या विवाद का जन्म **पाकिस्तान उस भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण हुआ जो वहीं उनका जन्म आधार था। अन्नादुराई** ने उसका कारण पाकिस्तान मे अयूब शासन प्रारंभ होने के पूर्व ही नेतृत्व की विवशता महत्वपूर्ण तथ्य है।

एक बात और भारत में कांग्रेस दल और नेहरू के नेतृत्व में न केवल देश की राजनीतिक को स्थायित्व प्राप्त हो चुका था वरण इसने लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ कर दिया था। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गाँधीवादी जीवन दर्शन तथा लौकिक मानवतावादी मूल्यों पर आधारित, विदेश नीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा निरन्तर बढ़ रही थी जबकि इसी समय दूसरी और पाकिस्तान में राष्ट्र स्तर पर शासन अस्थिर था और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उनकी मुस्लिम राज्यों के नेता के रूप में अन्तराष्ट्रीय जगत में प्रतिल्लित होने की मधुर कल्पना पर यथार्थ के निरन्तर प्रहार हो रहे थे।

जनता को राजनीतिक आस्थिरता तथा मोह भंग की स्थिति की अनुमति नहीं थी इसके लिए उसकेध्यान को केन्द्रित रखना आवश्यक था और इसके लिए पाकिस्तानी नेतृत्व के पास परंम्परागत प्राप्त भारत विरोध का मार्ग उपलब्ध था। स्वयं पाकिस्तान की जनता जन्म के पूर्व से ही भारत विरोध के दर्शन से ही अनुप्रमाणित रही थी। अतः इससे अधिक अन्य मार्ग इस परिस्थिति में संभव भी नहीं है। इसी कारण पाकिस्तान ने भारत के साथ सबंधी के निर्माण में असहयोग का सिद्धांत अपना लिया। परिणामतः महत्वहीन विवाद के कारणों को बल देने और गंभीर बनाने की क्रिया प्रारंभ हो गई।

कश्मीर समस्या हो या नहर पानी समस्या या कोई अन्य समस्या पाकिस्तन का प्रयास उन्हे उलझाने का गंभीर स्वरूप प्रदान करने का ही रहा है। इस विरोधी रवैये के विपरीत यदि कोई समझौता हुआ भी तो वह भारत के राष्ट्रीय हितों की बलि पर ही हुआ है और उन समझौते में भारत के हितों को पूर्णतया उपेक्षा स्वयं भारतीय नेतृत्व द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों की मुगमरीचिका की प्राप्ति के लिए की गई, जिसके भारत में व्यापक स्तर पर आलोचना ही हुई।

अयूब शासन के पूर्व का अस्थिर नेतृत्व कितने अंगों में भारत विरोधी दृष्टिकोण के

लिए उत्तरदायी है। अयूब शासन के पश्चात का अनुउत्तरदायी शासन भी उतने ही अंगों में उसके लिए उत्तरदायी है। **अयूब के अधिनायकवादी शासन काल में पाकिस्तान में** भी यही स्थिति रही। यदि पाकिस्तन के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को देखें तो स्पष्ट होता है कि जब कभी भी आन्तरिक स्थिति किसी भी रूप में विगड़ी है भारत विरोध प्रचार में नियंत्रित समाचार पत्रों तथा रेड़ियो के माध्यम से तीव्रता आयी है। पाक को विश्वास है कि भारत आक्रमण नहीं कर सकता और युद्ध एवं शांति केवल दो शक्तियों (रूस, अमेरिका) द्वारा नियमित है। यह मुर्खता है जब जनता भूख और वस्त्र के आभाव से पीड़ित हो देश के धन का 60ः सेना के बजट पर व्यय किया जाय। हमारा दल सत्ता प्राप्त करने पर सैना पर बजट कम करेगा और भारत के साथ विवादों को समाप्त करेगा।[12] ढ़ाका के पत्र सिंदवाद ने 8 दिसम्बर, 1964 को लिखा था कि **''पाकिस्तान के अलोकप्रिय सरकार का यह आचरण हो गया है कि वह देश की लोकतांत्रिक शक्तियों को सदैव भारत के एजेंट के रूप में प्रकाशीत करती है।''**

इस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में वह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान का वर्त्तमान अनुत्तरदायी शासक जबतक सत्तारढ़ रहेगा भारत–पाक संबंधों की तनावपूर्ण स्थिति समान्य नहीं होगी और पूराने विवादों के सुझ जाने पर नई समस्या उत्पन्न होती रहेंगी।

संदर्भ–ग्रंथ

1. हिन्दुस्तान टाइम, दैनिक प्रकाशन, दिल्ली, 05–12–2013.
2. देखें एच0आर0गुप्ता, इण्डिया एण्ड पाकिस्तान बार, 1965, ट.1, पृ – 50
3. के0सी0सक्सेना, पाकिस्तान, पृ0 – 14–25
4. साप्ताहिक दिव्यमान, 3 मई, 1965, पृ – 11
5. देखें, रामगोपाल, इण्डिया–पाकिस्तान वार एण्ड पीस, पृ0 – 9–10,
6. देखें, रामगोपाल, इण्डिया–पाकिस्तान वार एण्ड पीस, पृ0 – 11,
7. ''लेटर ऑफ रि फॉरैन डिपाटमेन्ट'' 11 अक्टूबर, 1906
8. ''फील्ड मार्शल अयूब खान, ब्रांडकास्ट इ द नेशन'' 1 मई, 1965
9. ''गजेटियर ऑफ इंण्डिया, वॉल्यूम'', 1959
10. गजेटियर ऑ दि बाम्बे प्रेसिडेन्सी वाल्यूम 5, 1880
11. इनसाइक्लोपोडिया बिटानिका, वाल्यूम ए, 1962, पृ0 – 233
12. इनसाइक्लोपिडीया अमेरिकाना, वाल्यूम ए, 1962, पृ0 – 262
13. स्टेटमेन, कलकत्ता, 16 नवम्बर, 1964 एवं हॉन, करॉची, 19 नवम्बर
14. सिंदवाद ढाका, 8 दिसम्बर, 1964